

किस्म मुकदमा:- :- धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
नम्बर:- 13/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
सज्जन सिंह बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर  
फलोदी


नम्बर व तारीख  
अहकाम की इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

14/8/24

अपीलार्थी प्रतापाराम पुत्र श्री हरचंदराम जाति विश्णोई निवासी ग्राम पोस्ट मोरिया, तहसील आउ, जिला फलोदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार घंटियाली) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स पक्ष से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार घंटियाली) के द्वारा पत्र क्रमांक: भू.अ./सूचना का अधिकार/2024/599 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा सूचना प्रेषित की गई। जिसकी प्रति भी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाएँ जरिये डाक अपीलांत को भिजवा दी गई थी। तहसीलदार आउ द्वारा सूचना आवेदन में सूचना की प्रति बिन्दुवार अपीलांत को उपलब्ध करवायी गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
फलोदी (राज.)